

प्राचार्य का कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

आदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या – 172 (17) दिनांक – 06.02.2020 में निहित शर्तों के अधीन डॉ आरोही कुमार इस चिकित्सा महाविद्यालय के औषधि विभाग में प्राध्यापक (सविदा) के रिक्त पद पर अपना योगदान दिनांक – 08.02.2020 के पूर्वां में दिए हैं, जिसे योगदान की तिथि से योगदान, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आप अपना प्रभार, विभागाध्यक्ष, औषधि विभाग के निदेशानुसार प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन की आठ प्रति अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह० /–  
प्राचार्य  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक – २६८/२०

दिनांक: – १२/०२/२०२०

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 2) श्री विवेकानन्द ठाकुर, सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र संख्या – 172 (17) दिनांक – 06.02.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 3) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4) विभागाध्यक्ष, औषधि विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 5) संबंधित चिकित्सक, औषधि विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 6) Estate Officer /पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7) बरसर /लेखापाल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 8) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 9) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 10) आई०टी० सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य  
१२/०२/२०२०

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर